

प्रेस नोट थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर दिनांक 23.09.2023

नकबजनी के आरोप में 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 अदद एल्युमिनियम के दरवाजे बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी गोरखपुर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज गोरखपुर के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष सहजनवा उ०नि० इत्यानन्द पाण्डेय के नेतृत्व में, उ०नि० सन्तोष कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 470/2023 धारा 457/380 भादवि० से सम्बन्धित अभियुक्त 1. दीपू यादव पुत्र पुत्र हरिलाल यादव निवासी लोहसडा थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर 2. अक्षयलाल पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी लोहसडा थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर को 02 अदद एल्युमिनियम के दरवाजे के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि० की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता-

1. दीपू यादव पुत्र पुत्र हरिलाल यादव निवासी लोहसडा थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
2. अक्षयलाल पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी लोहसडा थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं० 470/2023 धारा 457/380/ 411 भा०द०वि० थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

02 अदद एल्युमिनियम का दरवाजा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० संतोष कुमार सिंह थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
2. कां० आशुतोष पाण्डे थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर